I/101/3424/RTI/MEA/16 Rs. 10　　　　769/2016

2831
16/05/2016

सेवा में,

मुख्य जनसूचना अधिकारी / विदेश सचिव
विदेश मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली, भारत

विषयः– जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

एक शैक्षणिक उपयोग हेतु कृपया निम्नलिखित विषय के सम्बन्ध में सूचना देने का कष्ट करें:–

1. भारतीय विदेश नीति का आधार पंचशील सिद्धान्त एवं गुटनिरपेक्षता को माना जाता रहा है, क्या शीत युद्ध को समाप्ति के बाद आज वर्तमान समय में भी गुटनिरपेक्षता (Non–Alignment) का सिद्धान्त भारतीय विदेश नीति का आधार है।
2. क्या भारतीय विदेश नीति का आधार 'गुटनिरपेक्षता (Non–Alignment) के सिद्धान्त का सम्बन्ध मात्र शीत युद्ध (Cold War) तक ही सीमित था।

कृपया उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित तीस दिनों के अन्दर देने का कष्ट करें एवं सूचना हेतु यदि किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना हो तब प्रार्थी को तत्काल सूचित करें।

आपकी अति कृपा होगी।

UNP
18/5
16/5

SO(RTI)

संलग्नकः–

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् नियमानुसार दस (10/–)रु0 का भारतीय पोस्टल आर्डर सं0– 34F 828202

दिनांकः–09.05.2016

स्थान– इलाहाबाद (उ0प्र0)

Sh
16/5

प्रार्थी

09.05.2016

(डा0 हर्ष वर्धन सिंह)
C/o श्री लोकेश चन्द्र शर्मा
मिनी एम0आई0जी0–22,
Oppst.:- घोष स्वीट्स,
निकट गोविन्दपुर टैम्पो स्टैण्ड,
गोविन्दपुर
इलाहाबाद (उ0प्र0)–211004

विदेश मंत्रालय

(संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग)

*****

सं: यू.II/551/15/2016 दिनांक: 25 मई 2016

सेवा में,

डा. हर्ष वर्धन सिंह c/o श्री लोकेश चंद्र शर्मा
मिनी एम. आई. जी. – 22, अपोजीट घोष स्वीट्स
निकट गोविंदपुर टेम्पो स्टैंड, गोविंदपुर,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश – 211004

महोदय,

कृपया आपके द्वारा प्रेषित आर टी आई प्रार्थना पत्र संख्या "शून्य" दिनांकित 9 मई 2016 का संदर्भ लें, जो कि इस मंत्रालय को दिनांक 16 मई 2016 को प्राप्त हुआ है।

2. उपरोक्त आर टी आई प्रार्थना पत्र में आपके द्वारा मांगी गई जानकारी निम्नवत है:

"संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है, क्योंकि इसने विकासशील देशों को सामूहिक रूप से राजनैतिक और आर्थिक मुददों के क्षेत्र में अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया है। शीत युद्ध के बाद के युग में, गुट-निरपेक्ष आंदोलन में नि:संदेह महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। फिर भी गुट-निरपेक्ष आंदोलन अत्यधिक संगत बना हुआ है, विशेष रूप से उन मुददों के संदर्भ में जहां सदस्य देशों के मध्य विचारों की समानता संभव होती है।"

3. यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो इससे संबंधित अपील इस उत्तर की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर श्री विश्वेश नेगी, निदेशक व प्रथम अपीलीय अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग, कक्ष सं: 0102, जवाहर लाल नेहरू भवन, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली- 110011, फोन: 011-49018413 व फैक्स: 011-49018412 को भेजी जा सकती है।

भवदीय

(अलियावती लोंगकुमर)
अवर सचिव व केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग
कक्ष संख्या 0160, जवाहर लाल नेहरू भवन,
विदेश मंत्रालय, 23-डी, जनपथ, नई दिल्ली- 110011
फोन: 011-49018416

प्रतिलिपि:

1. अवर सचिव (आर टी आई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ।